संख्या– 88 VI-I / 2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव।
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग :

देहरादून : दिनांक 21 मार्च, 2005

विषयः– गांधी भवन, उत्तरकाशी के पुर्ननिर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–189 / गा0भ0 / 2004–05, दिनांक 21 मार्च, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भवन के पुर्ननिर्माण हेतु आगणन की आंकलित धनराशि रू0 6.015 लाख (रूपये छः लाख पन्द्रह सौ मात्र) के सापेक्ष वित्त विभाग / टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 5.78 लाख (रूपये पॉच लाख अट्ठहतर हजार मात्र) को आहरित कर व्यय करने की निम्नलिखित शर्तो के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं सामग्री कय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

7(1)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– उपरोक्त धनराशि का आहरण कर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को उपलब्ध कराया जाय।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का सम्बर्द्धन–12–शहीद स्मारक–00–29 अनुरक्षण मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–1077/वित्त अनुभाग–2/2005, दिनांक 31.03.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
3– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
7– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरकाशी।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।